(121)

1

निग0 5133/2018/रीवा/भू0प्र0

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

झलोरे राम तनय श्यामसुन्दर, निवासी ग्राम पथरौड़ा, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का पथरौड़ा, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता

अधि0श्री संतोष्वर सिंह द्वारा पेश। 23-8-18

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील जवा, के प्रकरण क0–8ए/12/2016–17 आदेश दिनांक 16/11/2016 ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वत्व, आधिपत्य एवं कब्जा दखल की आराजी नं0–360/1 रकवा 0.117 हे0 स्थित मौजा पथरौड़ा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा किए गए सीमांकन के विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा तेयार कर प्रस्तुत किये

सन्तोषकुमारसिंहपरिहार 29

झलोरेराम

(121)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5133- रीवा /18 जिला रीवा

झलोरे राम विरूद्ध शासन (म॰प्र॰)

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री संतेश्वर सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~ तहसील जवा के प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 16-11-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	